न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 35 सन 2022

अनवान :-

1. राजकुमार पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. छोटुराम पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. इन्द्रादेवी पुत्री श्योनन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. रमेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. ओमती देवी पत्नी चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिह ..पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
9. शेरसिह पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
11. झिण्डुराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
12. सुखराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
13. रूपराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
14. पतराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
15. भागुराम उर्फ रजोदेवी पुत्री गोविन्दराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर
16. राजेन्द्र पुत्र रजोदवी पुत्री गोविन्दराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
17. शारदा पत्नी कृष्ण जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
18. शर्मिला पुत्री कृष्ण जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
19. बुधराम पुत्र झिण्डुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
20. जयवीर पुत्र झिण्डुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
21. कालुराम पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
22. भीमसैन पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
23. भजनलाल पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
24. सुरेश पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
25. मंजू पुत्री झिण्डुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28|01|2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 137/130 की कुल 3.7950हैक्ट व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 223/214 की कुल 7.5900हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,17 ,18 व मृतक चेतराम, श्योचन्दराम, कृष्ण, रजोदेवी व रूधाराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गोमदराम वल्द पिथाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गोमदराम वल्द पिथाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र/पौत्रो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,17 ,18 व मृतक चेतराम, श्योचन्दराम, कृष्ण, रजोदेवी व रूधाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि गोविन्दराम पुत्र जीताराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान पतराम चेतराम झिण्डुराम रूपराम, श्योचन्दराम, सुखराम कृष्ण , रजोदेवी व रूधाराम है जिनमें से चेतराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 ,श्योचन्दराम का भी देहान्त हो चुका

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, कृष्ण का भी देहान्त हो चुका है जिसके वरिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 18 ,19 है रूधाराम पुत्र गोविन्दराम लावल्द फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,18 ,19 एवं रज्जोदेवी के वारिसान है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 16 ,17जो प्रतिवादी संख्या 11 ,14 की बहन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन है,प्रतिवादी संख्या 15 ,16 रज्जोदेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 18 ,19 जो वादी संख्या 2 ,6 की बहन है प्रतिवादी संख्या 25 प्रतिवादी संख्या 19 ,20 की बहन है। इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 15,16,17,18,25 ने अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,17, 19 ता 24 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,17 , 19 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 एव उनके पूर्वजा के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,17 ,19 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज गोविन्दाम पुत्र जीताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने एवं उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो एवं एक पुत्र रूधाराम के लावल्द फोत हो जाने पर वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 ,18 ,25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने अपने भाईयो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 , 19 ता 24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 26 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज गोविन्दाम पुत्र जीताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने एवं उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो एवं एक पुत्र रूधाराम के लावल्द फोत हो जाने पर वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 ,18 ,25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने अपने भाईयो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 , 19 ता 24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 137/130 की कुल 3.7950हैक्ट व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 223/214 की कुल 7.5900हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,17 ,18 व मृतक चेतराम, श्योचन्दराम, कृष्ण, रजोदेवी व रूधाराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज गोविन्दाम पुत्र जीताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने एवं उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो एवं एक पुत्र रूधाराम के लावल्द फोत हो जाने पर वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने स्वीकार किया ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 ,25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 ,25 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 15 ता 18, 25 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 223/214 की कुल 7.5900हैक्ट में से मृतक राजोदेवी पुत्र गोविन्दराम का नाम दर्ज 1/64 हिस्सा में से नाम कलमजन किया जाकर 1/7 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब व 1/7 हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 19 ,20 संयुक्त तोर से तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 137/130 की कुल 3.7950हैक्ट भूमि में से चेतराम पुत्र गोविन्दराम 1/8 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब दर्ज की जाती है तथा मृतक श्योचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तथा मृतक रूधाराम पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि कलमजन किया 1/7 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के नाम व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 14 के नाम व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 19, 20 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. छोटूराम पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. इन्द्रादेवी पुत्री श्योनन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. रमेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. ओमती देवी पत्नी चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिंह पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
9. शेरसिंह पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
11. झिण्डुराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
12. सुखराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
13. रूपराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
14. पतराम पुत्र गोविन्द जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
15. भागुराम उर्फ रजोदेवी पुत्री गोविन्दराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर
16. राजेन्द्र पुत्र रजोददी पुत्री गोविन्दराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
17. शारदा पत्नी कृष्ण जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
18. शर्मिला पुत्री कृष्ण जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
19. बुधराम पुत्र झिण्डुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
20. जयवीर पुत्र झिण्डुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
21. कालुराम पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
22. भीमसैन पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
23. भजनलाल पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
24. सुरेश पुत्र रूपराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
25. मंजू पुत्री झिण्डुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 35 सन 2022 निर्णय दिनांक– *28/01/2022*

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 223/214 की कुल 7.5900हैक में से मृतक राजोदेवी पुत्र गोविन्दराम का नाम दर्ज 1/64 हिस्सा में से नाम कलमजन किया जाकर 1/7 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब व 1/7 हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 19 ,20 सयुक्त तोर से तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 137/130 की कुल 3.7950हैक भूमि में से चेतराम पुत्र गोविन्दराम 1/8 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब दर्ज की जाती है तथा मृतक श्योचन्द पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तथा मृतक रूधाराम पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि कलमजन किया 1/7 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब तथा 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के नाम व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 14 के नाम व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 19, 20 बहिब व 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक *28/1/2022* को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner